न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2020 (2020/00118)

1.ओमप्रकाश पत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण
2.दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण
3.बसंत पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण
3(1)मुकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण
4.सूरजकरण आयु 84 वर्ष पुत्र भवानीलाल ब्राहमण
5.अनिल कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहमण
6.योगेन्द्र प्रकाश आयु 60 वर्ष रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहमण
7.शकुन्तला देवी आयु 53 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहमण
8.देवराज सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत
9.धमेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र समुद्र सिंह जाति राजपूत
10.लक्ष्मण कंवर पुत्री शैतान सिंह जाति राजूपत
11.रामकरण पुत्र रामदेव जाति बैरवा
12.रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति बैरवा
13.छीतर पुत्र रामदेव जाति बैरवा
14.कुलदीप पुत्र लादू जाति गुर्जर
15.कल्ली पत्नि लादू जाति गुर्जर
16.हरीदेवी पत्नि लादू जाति गुर्जर
17.इन्दा कंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत
18.गिरीराज सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
19.जीवराज सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
20.देबीराज सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत
21.नन्द कंवर पत्नि सज्जन सिंह जाति राजपूत
22.मणीराज सिंह वर्ष जयसिंह जाति राजपूत
23.लक्ष्मीराजसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
24.हेमकंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपूत
25.हरीराजसिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत
निवासीगण लसाड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान —प्रार्थीगण

बनाम

1.गणेश पुत्र छोगा जाति माली
2.गलोल पत्नि छोगा जाति माली
3.जगदीश पुत्र छोगा जाति माली
4.मथरा पुत्री छोगा जाति माली
5.रामदेव पुत्र छोगा जाति माली
7.कमलेश पुत्री देवाराम जाति गुर्जर
8.नेरमा पुत्री देवाराम जाति गुर्जर
9.मथरा पत्नि देवाराम जाति गुर्जर
10.लाली पुत्री बद्री जाति गूर्जर
11.शंकर पुत्र देवाराम जाति गूर्जर
12.सीता पुत्री बद्री गूर्जर
13.हगामी पत्नि बद्री जाति गुर्जर
14.घीसालाल पुत्र नाहरा जाति गुर्जर
15.पप्पू पुत्र नाहरा जाति गुर्जर
16.शिमला पुत्री नाहरा जाति गुर्जर
17.देवली पत्नि नाहरा जाति गुर्जर
निवासीगण लसाड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
18.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

—अप्रार्थी गण

केकड़ी जिला-अजमेर अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2020 (2020/00116)
ओमप्रकाश व अन्य बनाम गणेश व अन्य
अंतर्गत धारा 251 क उपधारा 2 राज0का0अ0
निर्णय दिनांक 03.09.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–
1. श्री नवल किशोर पारीक वकील– प्रार्थीगण
2. कोई हाजिर नहीं –अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17
4. तहसीलदार केकड़ी – पैरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 18

आदेश

दिनांक 03.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लसाड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069–72 मे अंकित हमारी जोत निम्नलिखित खसरा नंबर /रकबा 1319/0.02,1322/0.091323/0.27,1321/0.64,1851/1320 रकबा 0.261320/0.26,1268/0.331265/0.18,1266/0.07,1267/0.11 है0मे पहुंच के प्रयोजन के लिए खसरा नंबर 1313/0.10,1851/1320 रकबा 0.26 है0 1314/0.16,1315/0.18,1316/0.09,1317/0.21,1316/1625रकबा 0.09,खसरा नंबर 1268 /0.33 है0 1316/1626 रकबा 0.09,1316/1827रकबा 0.09 है0 मे स्थित विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने का आशय रखते है।

खसरा नंबर 1314 रकबा 0.16 है0 मे से विधि सम्मत विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने पर प्रार्थी संख्या 8,9,10 को कोई आपत्ति नही है।

खसरा नंबर 1851/1320 रकबा 0.26 मे से विधि सम्मत विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने पर प्रार्थी संख्या 11 रामकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

खसरा नंबर 1268 रकबा 0.33 है0 मे से विधि सम्मत विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने पर प्रार्थी संख्या 13 छीतर को कोई आपत्ति नहीं है।

खसरा नंबर 1313 रकबा 0.10 है0 मे से विधि सम्मत विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने पर प्रार्थीगण संख्या 17 लगायत 25 को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस आराजी पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। अतः हम उपरोक्त प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा (2)के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार केकड़ी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक /भू.अ./2021/4559 दिनांक 27.08.2021 से प्रस्तुत की गई है।

अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली गैर हाजिर रहने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी,वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी[illegible] श्री [illegible] किशोर पारीक ने बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित [illegible] दस्तावेज के साथ फोटोग्राफ मौका स्थल के प्रस्तुत किये। तहसीलदार केकड़ी [illegible] प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की तथा प्रतिकर के [illegible] मे रास्ते मे आने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर से दुगनी राशि संबंधित पक्षकारान को अदा करने हेतु सहमति जाहिर की। पैरोकार सरकार द्वारा भी तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट मे दर्शाये अनुसार रास्ता स्वीकृत करने मे सहमति जाहिर की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2020 (2020/00118)
ओमप्रकाश व अन्य बनाम गणेश व अन्य
अंतर्गत धारा 251 क उपधारा 2 राज0का0अ0
निर्णय दिनांक 03.09.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम लसाड़िया के खसरा नंबर 1319,1322,1323 वगैराह आवेदक व अन्य खातेदारो के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण वर्तमान मे रिकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 1395 के पश्चात खसरा नंबर 1313,1314,1316, 1316/1625,1316/1626,1316/1327, 1268, 1270, 1271, 1315, 1327, 1317,1851/1320,1267,1265,1264,1263,126221730,1262 के मध्य के मेड से आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण के खेतो से निकटतम दूरी पर खसरा नंबर 1395 मे रेकार्डेड रास्ता विद्यमान है। ग्राम लसाड़िया के मख्य रास्ते से लगवा खसरा नंबर 1313 व 1315 के मध्य मेड से मोके पर रास्ता बना हुआ है जो कि अन्दर स्थित खसरा नंबर 1313,1314, 1315,1316,1316/1625,1316/1626,1316/1327,1317,1318,1851/1320,1268,1267,1265,1264,1270,1271,1263,1262/1730,1260 के खेतो मे आने जाने के काम मे आ रहा है। उपरोक्त सभी खसरा नंबरो की मध्य मेड़ नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शित रास्ते की चौड़ाई प्रत्येक खेत मे से 2मीटर व सामने स्थित खसरा नंबर मे से 2मीटर इस प्रकार रास्ते की कुल चौड़ाई 4 मीटर व लम्बाई 400 मीटर बनती है। रास्ते मे पड़ने वाली कुल भूमि 1600 वर्गमीटर है। ग्राम लसाड़िया की डी0एल0सी0दर 248589/-रू प्रति हैक्टर के अनुसार उक्त भूमि की कीमत डबल करने पर 79548/-रू बनती है। अतः तहसीलदार केकड़ी उक्त प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर उपर्युक्त भूमि जो रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होगी,के खातेदारान को भुगतान की जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner